न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 51/2022

उनवान

घासीराम पुत्र स्व0 श्री सोना उम्र व्यस्क जाति बलाई निवासी सुराणा तह0 शाहपुरा जिला जयुपर राज0

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर राज0

प्रतिवादी

दावा बाबत दुरूस्ती इंद्राज घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 आर टी ए–1955

निर्णय दिनांक: 24/7/2023

दावा संक्षेप में यह है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 406 मिन रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाकै ग्राम सुराणा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर वादी के पिता सोना पुत्र भगवाना के नाम अलाटमेन्ट हुई है जो वादी के पिता सोना पुत्र भगवान के नाम जरिये नामान्तकरण सं0 181 द्वारा जो वादी के पिता सोना पुत्र भगवाना के नाम गैर खातेदारी में दर्ज हुई है उक्त भूमि को वादी का पिता सोना पुत्र भगवाना अलाटमेन्ट के समय से ही काबिज कर रहकर काश्त करता रहा है।

यह कि वादी का पिता वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित आराजी पर अलाटमेन्ट के समय से काबिज रहकर काश्त करने एवं अलाटमेन्ट की समस्त शर्तो की पूर्णतया पालन करने के कारण हाल सेटलमेन्ट के समय वादी के पिता सोना पुत्र भगवाना को साबिक ख0 न0 406 मिन रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा के खातेदारी हक अधिकार कानूनन रूप में प्राप्त हो गये थे हाल सेटलमेन्ट के समय सेटलमेन्ट कर्मचारियो ने वादी के पिता सोना पुत्र भगवाना की जिमन नं0 1 में वर्णित भूमि का नया ख0 न0 1012 कायम कर पर्चा खातेदारी उसके नाम दर्ज कर दी। तथा वादी के पिता सोना पुत्र भगवाना के नाम पर्चा खातेदारी के आधार पर आधार वर्ष सं0 2042 की जमाबंदी में उक्त हाल ख0 न0 1012 की खातेदारी दर्ज हो गई। और उसी अनुरूप बाद की जमाबंदी वादग्रस्त आराजी की वादी के पिता सोना पुत्र भगवाना के नाम बनी है।

यह कि वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित साबिक ख0 न0 406 मिन का रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा रहा है जिसका मेट्रिक प्रणाली के अनुसार रकबा 0.87 है. बनता है लेकिन हाल सेटलमेन्ट कर्मचारियो की सहवन से हुयी भूल के कारण हाल ख. न. 1012 कायम करते समय उसका रकबा 0.87 है0 के बजाय 0.62 है0 ही रकबा पर्चा खातेदारी व मिलान क्षेत्रफल में दर्ज किया गया है तथा उसी आधार पर बाद में ख0 न0 1012 की बनी जमाबंदीयो में रकबा 0.62 है0 ही दर्ज हुआ है जबकि वादी के पिता सोना पुत्र भगवाना का पुराने रकबे के अनुसार मौके पर भी 0.87 है0 भूमि पर कब्जा काश्त रहा है सेटलमेंट कर्मचारियो को बिना किसी न्यायलय के निर्णय डिक्री व आदेश के वादी के पिता सोना पुत्र भगवाना की वाद ग्रस्त भूमिका रकबा 0.25 है0 कम करने का कोई हक अधिकार नही रहा है कानूनन रूप में सेटलमेन्ट कर्मचारियो को पूर्व जमाबंदी में दर्ज रकबे को ही रिपीट करना चाहिये था लेकिन उन्होने गैरकानूनी रूप में वाद ग्रस्त आराजी का पुराने रकबे 3 बीघा 10 बिस्वा के मुकाबले 0.25 है0 भूमि कम करते हये केवल मात्र 0.62 है0 ही रकबा दर्ज किया है जो काबिले दुरूस्ती है।

यह कि वादी का पिता सोना पुत्र भगवाना ग्रामीण परिवेश का भोला भाला व्यक्ति रहा है उसको रूपयो की आवश्यकता होने पर उसने वाद ग्रस्त आराजी में 0.62 है0 भूमि को लक्ष्मी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति बलाई निवासी सुराणा को पंजीकृत विकय पत्र द्वारा बेचान कर 0.62 है0 का उक्त लक्ष्मी देवी को कब्जा संभला दिया उक्त विकय पत्र के आधार पर लक्ष्मी देवी पत्नी रामचन्द्र के नाम ख0 नं01012 रकबा 0.62 है0 की खातेदारी जरिये नामान्तकरण द्वारा दर्ज हो गयी है शेष रकबा 0.25 है0 भूमि पर वादी का पिता सोना पुत्र भगवाना काबिज रहा है वादी के पिता सोना पुत्र भगवाना की सन 2005 में मृत्यु हो चुकी है मृतक सोना पुत्र भगवाना के वादी ही एक मात्र वारिस है तथा उसकी चल एवं अचल संपति पर काबिज है सोना पुत्र भगवाना की मृत्यु के समय से ही वादी वाद ग्रस्त आराजी के 0.25 है0 भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है उक्त रकबा 0.25 है0 भूमि से लक्ष्मी पत्नी रामचन्द्र का कोई संबंध व हक अधिकार नही रहा है इस कारण लक्ष्मी देवी पत्नी रामचन्द्र को उक्त वाद में पक्षकार नही बनाया गया है।

यह कि वादी ने प्रतिवादी तहसीलदार शाहपुरा को कई बार वादग्रस्त आराजी के पुराने रिकार्ड व रकबे के अनुसार हाल सेटलमेन्ट में वाद ग्रस्त आराजी का रकबा कम दर्ज करने की हुई गलती को दुरूस्ती करने व उक्त 0.25 है0 की खातेदारी वादी के नाम दर्ज करने बाबत निवेदन किया है लेकिन प्रतिवादी तहसीलदार शाहपुरा पहले वादी को आश्वासन देते रहे है लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा चलाये गये प्रशासन गांवो के संग राजस्व अभियान के दौरान प्रतिवादी तहसीलदार

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

महोदय ने उकत दुरूस्ती करने से मना कर दिया तथा वादी को राजस्व न्यायालय में चाराज्योही करने के लिए कहां है इस कारण वादी को वाद ग्रस्त आराजी के रकबे में हुई गलती को दुरूस्त कराकर 0.25 है0 भूमि की गत राजस्व रिकार्ड व मौके के कब्जे काश्त के आधार खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु प्रतिवादी के खिलाफ प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के समक्ष दायर करना आवश्यक हुआ है।

यह कि बिनाय दावा वाद त्र के जिमन नं0 1 लगायत 5 के अनुसार वाद ग्रस्त आराजी का साबिक रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा होने एवं हाल सेटलमेंट में सेटलमेंट कर्मचारियो की भूल व गलती के कारण 0.87 है0 के बजाय केवल मात्र 0.62 है0 रकबा ही दर्ज कर देने व 0.25 है0 भूमि रकबे में कमी कर देने एवं उक्त गलती को दुरूस्त करने से तथा उसकी खातेदारी वादी के नाम दर्ज करने से प्रतिवादी तहसीलदार महोदय द्वारा मना कर देने से पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

अन्त में निवेदन किया गया कि यह कि वादीगण का वाद प्रतिवादी के खिलाफ डिक्री फरमाया जाकर वादी को हाल आराजी खसरा नम्बर 1012 रकबा 0.62 वाकै ग्राम सुराणा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर का रकबा साबिक आराजी ख0 न0 406 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा के अनुसार 0.87 है0 की दुरूस्ती की जाकर वादी को ख0 न0 1012 में दुरूस्ती से बढा रकबा 0.25 है0 वाकै ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा जयपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त घोषणा का राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाया जावे ।

वादपत्र पेश होने विधिवत रिपोर्ट ली जाकर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तबी की गई । प्रतिवादी राजकीय पैरोकार ने अपना जवाबदावा पेश करते हुए जाहिर किया कि सागत साबिक आराजी ख0नं0 406 मि0 में 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी के पिता को आवंटन हुई । साबिक खसरा नम्बर 406/891/6 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा बा03 से बने हॉल ख0नं0 1012 बा 0.62 है0 पर्चा खतौनी में दर्ज होना जाहिर करते हुए जाहिर किया कि साबिक ख0नं0 406 बा 53 बीघा 18 बिस्वा का हॉल कायम किये गये खसरा नम्बर का रकबा 11.74 है0 ही बनाया ा है जबकि साबिक के मुकाबले 1.89 है0 रकबा कम किया गया है जिसका मिलान क्षेत्रफल का लोकन करने पर कोइ विविरण नहीं मिला है। राजकीय पैरोकार ने अपने जवाब में यह तो जाहिर या है कि वादी का रकबा साबिक के मुकाबले 0.25 है0 कम किया गया है लेकिन किस खसरा बर में बढाया गया है यह सिद्व नहीं होने से शुद्वि किया जाना सम्भव नहीं होना जाहिर करते हुए भी जाहिर किया कि यदि प्रार्थी का रकबा 0.25 है0 बढाया जाता है तो सम्पूर्ण ग्राम का रकबा ावित होगा ।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा विद्वान अधिवक्ता वादी एवं राजकीय पैरोकार की स का मनन किया । विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 1012 रकबा 0.62 वाकै ग्राम सुराणा 0 शाहपुरा जिला जयपुर का रकबा साबिक आराजी ख0 न0 406 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा से है जिसका साबिक के मुकाबले वर्तमान मेट्रिक प्रणाली से 0.25 है0 भूमि कम होना बखूबी बेत होता है लेकिन राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट के अनुसार यह रकबा कम किया गया है वह स खसरे में बढाया गया है स्पष्ट नहीं है, लेकिन वादी/प्रार्थी का रकबा साबिक 3 बीघा 10 हॉल क प्रणाली से 87.5 है0 बनता है लेकिन वादी/प्रार्थी के नाम भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा 0.25 है0 करते हुए 0.62 है0 भूमि वर्तमान में खातेदारी में दर्ज की गई है । इस प्रकार यह तो स्पष्ट है वादी/प्रार्थी के नाम 0.25 है0 भूमि साबिक के मुकाबले वर्तमान रिकार्ड में कम की गई है जो स्ती किये जाने योग्य है। अतः दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाकर साबिक आराजी ख0 न0 406 मि0 रकबा 3 ा 10 बिस्वा के अनुसार हाल कायम किये गये आराजी खसरा नम्बर 1012 रकबा 0.62 के स्थान 0.87 है0 भूमि वाकै ग्राम सुराणा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर का वादी को खातेदार काश्तकार षित किया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा अपने स्तर से परीक्षण करे कि वादी के नाम 0.25 है0 मे जो भू प्रबन्ध विभाग द्वारा कम की गई थी वह किस खसरा नम्बर में दर्ज की गई है को यमानुसार कम करे । तहसीलदार शाहपुरा को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु लिखा जावे । र्ा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय आज दिनांक 04/7/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 51/2022

उनवान

घासीराम पुत्र स्व0 श्री सोना उम्र व्यस्क जाति बलाई निवासी सुराणा तह0 शाहपुरा जिला जयुपर राज0

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर राज0

प्रतिवादी

दावा बाबत दुरूस्ती इंद्राज घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 आर टी ए–1955

निर्णय दिनांकः 24/7/2023

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाकर साबिक आराजी ख0 न0 406 मि0 रकबा 3 घा 10 बिस्वा के अनुसार हाल कायम किये गये आराजी खसरा नम्बर 1012 रकबा 0.62 के स्थान 0.87 है0 भूमि वाकै ग्राम सुराणा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर का वादी को खातेदार काश्तकार षित किया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा अपने स्तर से परीक्षण करे कि वादी के नाम 0.25 है0 मे जो भू प्रबन्ध विभाग द्वारा कम की गई थी वह किस खसरा नम्बर में दर्ज की गई है को यमानुसार कम करे । तहसीलदार शाहपुरा को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु लिखा जावे ।

निर्णय आज दिनांक 24/7/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

के खर्चे

		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
ाद पत्र के लिए स्टाम्प ाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प दर्शो के लिए स्टाम्प ..... रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
ड़		जोड़	